



2026:AHC-LKO:20915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 1850 वर्ष 2017**

राजेंद्र कुमार द्विवेदी

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, समाज

कल्याण, लखनऊ एवं अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: कुँवर रवि प्रकाश, पशुपति नाथ द्विवेदी
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थाई अधिवक्ता, ओंकार सिंह,
शिवम शर्मा	

न्यायालय संख्या-18**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पशुपति नाथ द्विवेदी तथा राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री पियूष कुमार, स्थायी अधिवक्ता, को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिका वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.06.2016 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि वह विधि अनुसार अनुमोदित नियुक्त शिक्षक नहीं है, इस प्रकार वेतन के अधिकार का खंडन किया गया।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.1993 को श्री अस्थिक देव बाल विद्या मंदिर, जोहवा सार्की, जनपद रायबरेली (एतदपश्चात् “विद्यालय” संदर्भित) की प्रबंधन समिति द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा उसकी नियुक्ति विधिवत अनुमोदित की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि तत्पश्चात् शिकायत की गई, जिसके अनुसरण में जांच प्रारंभ की गई, और उसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), रायबरेली द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसे रिट याचिका संख्या 2312 वर्ष 2006 (एस/एस) में चुनौती दी गई, जिसमें दिनांक 18.08.2015 को निर्देश जारी किए गए।

4. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति मुख्यतः दो आधारों पर की गई, जैसा कि प्रश्नगत आदेश से स्पष्ट है। प्रथम, कि याचिकाकर्ता विद्यालय में उसकी नियुक्ति करने वाली प्रबंधन समिति के एक सदस्य का निकट संबंधी है तथा द्वितीय, कि आदेश दिनांक 10.04.2012 द्वारा वेतन के भुगतान के दावे के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।

5. उन्होंने यह तर्क दिया कि जहाँ तक प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने के प्रथम आधार का संबंध है, उस विषय में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की गई, जिन्होंने दिनांक 25.09.2018 को निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को अपनी आख्या प्रस्तुत की।

6. उक्त आख्या का प्रासंगिक प्रस्तर निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"उक्त आरोप के अन्तर्गत बतन रोके जाने की लेकर श्री राजनंदर कुमार दविवेदी द्वारा समय समय पर अनेको पत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि उक्त लगाया गया आरोप झूठा है. शरी ददविवेदी द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी नियुक्ति का दिनांक 30.06.1993 है, प्रबन्ध समिति मूवी वर्ष 1993-94 में अंकित किसी भी पदाधिकारी सदस्य के वह निकट सम्बन्धी नहीं है. बल्कि दूर-दराज से भी सम्बन्धी नहीं है। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से श्री दविवेदी के कथन को सही बताते हुए शरी दविवेदी के वेतन भुगतान किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। शरी रजिन्दर कुमार दविवेदी नियुक्ति के समय दिनांक 30.06.1993 में प्रबन्ध समिति के किस पदाधिकारी सदस्य के निकट सम्बन्धी रहे. का उल्लेख माक्षय भी प्रकाश में नहीं आया है। शरी राजेन्द्र कुमार दविवेदी पर लगाया गया आरोप पूर्णतयः निराधार है प्रबन्धक द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।"

7. उपर्युक्त आख्या का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जांच संपन्न करने के पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिकाकर्ता प्रबंधन समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का संबंधी नहीं है तथा ऐसे संबंध के संबंध में लगाया गया आरोप निराधार है।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के दावे के अस्वीकार का दूसरा आधार यह है कि आदेश दिनांक 10.04.2012, जिसे रिट-ए संख्या 6833 वर्ष 2015 में चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 05.01.2023 के निर्णय एवं आदेश, जिसे दिनांक 18.01.2023 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया, से पूर्व ही निरस्त किया जा चुका है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि दूसरा आधार भी अब अस्तित्व में नहीं रहा।

9. उन्होंने निष्कर्षतः यह प्रस्तुत किया कि चूँकि प्रश्नगत आदेश में उल्लिखित दोनों आधार अस्थिर हैं, अतः दिनांक 30.06.2016 का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि उल्लिखित दो आधारों के अतिरिक्त भी याचिकाकर्ता को वेतन न दिए जाने के कुछ कारण हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कभी कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई तथा याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

9. प्रत्युत्तर में प्रत्युत्तर की विषयवस्तु पर निर्भर करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1994 से 1997 तक वेतन प्राप्त किया और, अतः, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, गलत है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रबंधन समिति द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। याचिकाकर्ता के कथनों के अनुसार, उसे वर्ष 1994 से 1997 तक राज्य कोष से वेतन का भुगतान किया गया था। विवाद उत्पन्न हुआ, जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक शिकायत की गई और एक प्रतिकूल निर्णय लिया गया। उसी को रिट याचिका संख्या 2312 वर्ष 2006 (एस/एस) दाखिल करके चुनौती दी गई, जिसमें इस न्यायालय ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया और उसके अनुपालन में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

11. यह न्यायालय पाता है कि प्रश्नगत आदेश मुख्यतः दो आधारों पर पारित किया गया है, प्रथम, कि याचिकाकर्ता प्रबंधन समिति के एक पदाधिकारी/सदस्य का निकट संबंधी है, जिसने उसकी नियुक्ति की और द्वितीयतः, कि विद्यालय की अनुदान प्राप्ति की स्थिति शासनादेश दिनांक 10.04.2012 द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. प्रथम आधार के परीक्षण पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के प्रबंध समिति के किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी का निकट संबंधी होने के प्रश्न को जांच का विषय बनाया गया था। उक्त संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि याचिकाकर्ता संबंधित प्रबंध समिति के किसी भी ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारी से संबंधित नहीं है। अतः, प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने का प्रथम आधार शेष नहीं रहता।

13. द्वितीय आधार के संबंध में, दिनांक 10.04.2012 के आदेश को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा रिट-ए संख्या 6833 वर्ष 2015 के साथ संबद्ध याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिनका अंतिम निर्णय दिनांक 05.01.2023 के निर्णय एवं आदेश द्वारा किया गया। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 10.04.2012 का आदेश निरस्त कर दिया गया है और, अतः, दिनांक 30.06.2016 के प्रश्नगत आदेश का मूल आधार एवं उत्पत्ति ही समाप्त हो जाती है।

14. यह विधि में सुस्थापित है कि कोई प्रशासनिक आदेश उसमें निहित कारणों के आधार पर ही स्थिर रहेगा अथवा विफल होगा और उसे बाद में नए कारणों द्वारा पूरित नहीं किया जा सकता, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद **मोहीन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली दर्ज (1978) 1 एससीसी 405** में धारित किया गया है। वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला उपर्युक्त सिद्धांत के अंतर्गत पूर्णतः आता है।

15. तदनुसार, यह न्यायालय रिट याचिका में गुण पाता है; परिणामस्वरूप, दिनांक 30.06.2016 का प्रश्नगत आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

16. जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में याचिकाकर्ता तथा अन्य हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरांत, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक नवीन आदेश पारित करें।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

19 मार्च, 2026

मयंक/राज

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।